संख्या- 215 /2025/953/चार-2025-1911021

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2025**

विषय:- दिनांक 22 मार्च, 2025 को बिहार एवं दिनांक 29 मार्च, 2025 को राजस्थान राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले आयोजन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5891/सं0नि0-15(151)/2024-25, दिनांक 19 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निम्नलिखित सारिणी में अंकित विवरणानुसार दिनांक 22 मार्च, 2025 को बिहार एवं दिनांक 29 मार्च, 2025 को राजस्थान राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले आयोजन पर व्यय धनराशि रूपये **रूपये 9,98,280.00** के संबंध में अनुरोध किया गया है:-

क्र. सं.	**विवरण**	**अनुमानित व्यय (रू0 में)**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	2	3	4
1.	कलाकारों का आवास एवं भोजन (30 कलाकार, 03 दिवस, 1400 की दर से)	1,26,000.00	1,26,000.00
2.	बिहार एवं राजस्थान राज्यों की स्थापना दिवस की थीम पर रंगोली, कट आउट, स्वागत द्वार आदि का कार्य।	2,40,000.00	2,40,000.00
3.	02 राज्यों की कला एवं संस्कृति विषयक प्रदर्श।	1,10,000.00	1,10,000.00
4.	स्थानीय यातायात (06 दिवस)	1,20,000.00	1,20,000.00
5.	पूर्वाभ्यास हेतु सूक्ष्म जलपान	60,000.00	45,000.00
6.	राजभवन, लखनऊ द्वारा हाई-टी पर व्यय(02 दिवस)	1,90,000.00	1,42,500.00
	योग	8,46,000.00	7,83,500.00
	जी0एस0टी0	1,52,280.00	1,52,280.00
	महायोग (रूपये नौ लाख अट्ठानबे हजार दो सौ अस्सी मात्र)	**9,98,280.00**	**9,35,780.00**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सारिणी में उल्लिखित तथ्यों के क्रम दिनांक 22 मार्च, 2025 को बिहार एवं दिनांक 29 मार्च, 2025 को राजस्थान राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले आयोजन के सम्बन्ध में सारिणी के कालम-3 के क्रमांक 5 एवं 6 पर दर्शाई गई धनराशि में 25% की कटौती करते हुये सारिणी के कालम-4 में अंकित धनराशि **रू0 9,35,780.00 (रूपये नौ लाख पैतीस हजार सात सौ अस्सी मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर का परीक्षणोपरान्त समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-25-उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 2024-25-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।